चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/ 4888
दिनांक :- 28.3.2024

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध विधि संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठयक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांकः सम्बद्धता/3411 दिनांक 22.11.2023 के परीपेक्ष में जिन विधि संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठयक्रम संचालित किये जाने हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दिनांक 27.11.2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पाठयक्रम की सम्बद्धता हेतु वे संस्थान/महाविद्यालय ही अर्ह एवं पात्र होगें जो निम्नलिखित शर्तों/मानकों की पूर्ति करते हैः–

01. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क रू0 74,175/– जमा कर दिया जाए।
02. महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य उपलब्ध हों।
03. महाविद्यालय में न्यूनतम दो विधि पाठयक्रम संचालित हों और उनमें से एक पाठयक्रम की स्थायी/सम्बद्धता प्राप्त हो।
04. पाठयक्रमों में से किसी भी एक पाठयक्रम के न्यूनतम दो बैच पास–आउट हो चुके हो।
05. सम्बन्धित पाठयक्रम के लिये महाविद्यालय में साइबर लॉ विषय में विशिष्टता प्राप्त एल0एल0एम0 (LL.M with Specialization in Cyber Law Subject) विषय शिक्षक उपलब्ध हों।
06. महाविद्यालय के विधि पाठयक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 70 प्रतिशत से अधिक हो।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 05.04.2024 तक उपर्युक्त विवरण/सूचनाएँ विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे गुणवत्ता के आधार पर आपके आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
27.03.2024
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)